

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1 (50)पी.एस./निकाशि/2012/ ३५५

दिनांक १८-९-१२

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम-2010 के नियम 4(3)क में वर्णितानुसार गठित स्कीनिग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 14.07.2011, 11.08.2011 एवं 08.12.2011 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं/कृषि शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित कर्मचारी जिन्होंने उक्त नियमों के अधीन उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा की है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णयन करते हुए इन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी अनुशंशा के आधार पर उक्त नियमों के नियम 5(ii) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करते हुए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त होने के फलस्वरूप कार्मिकों के नाम के सम्मुख अंकित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित (R.V.R.E.S) पद पर विद्यमान वेतनमान पर विभाग में कार्यग्रहण करने की तिथि से पदस्थापित किया जाता है:-

1. ये इन नियमों के अधीन अधिवार्षिता आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे तथापि इन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञार्थ किया जायेगा। सुनिश्चित कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत और सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जावेगी।
2. यह नियुक्ति राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अध्यधीन नहीं की जा रही है वरन् राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के नियम 5(ii) के अनुरूप मृत संवर्ग के रूप में की जा रही है।
3. यह मृत संवर्ग के पद चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवार्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति/सेवा में रहते हुए मृत्यु/कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदों के रिक्त होते ही स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इससे महाविद्यालय शिक्षा विभाग के पूर्व से सृजित पद समाप्त नहीं होंगे।
4. इनका वेतन इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर इनके इस आदेश की अनुपालना में पद ग्रहण करने की तारीख से छठे वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जायेगा। इन कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात् सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के लाभ के लिए अनुज्ञात किये जायेंगे।
5. उपार्जित अवकाश एवं मैडिकल अवकाश के अतिशेष अग्रनीत करने को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपार्जित अवकाश के अतिशेष के नगदीकरण प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी मददे कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयन वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम में बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नहीं किये जायेंगे।
7. इन नियमों के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये ये व्यक्ति पेंशन स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जमा नहीं कराया गया हो तो, राज्य सरकार द्वारा संदत्त नहीं किया जायेगा। नियुक्त कार्मिक पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदान पेंशन) नियम, 2005 ही लागू होगा।
8. अनुदान/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नहीं की जायेगी। कर्मचारी संबंधित सहायता/अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से अपने उपादान का संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य सरकार का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त इन व्यक्तियों की अन्य सेवा शर्ते 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों पर लागू विभिन्न सेवा नियमों द्वारा विनियमित होगी।
10. इन्हें अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में स्थित सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में ही सेवा करनी होगी।
11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधित जॉच विभाग स्तर पर कारवाई जानी शोष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवा कर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में ही प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य सरकार से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
12. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी सभी शैक्षिक एवं प्रशैक्षित योग्यता से संबंधित अंकतालिकाओं/प्रमाण पत्रों की मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरान्त उसकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे।
13. इन्हें दिनांक 26/09/2012 तक अनिवार्यतः पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि संबंधी कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उन्हें इन नियमों के अधीन प्रदत्त यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हों जायेगी। कार्यग्रहण करने पर इन्हें यात्रा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या	कर्मचारी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पद	जन्म तिथि	अनुदानित महाविद्यालय का नाम	पदस्थापित राजकीय महा.
1	566	डॉ. राजेन्द्र सिंह बारेठ / श्री चण्डी दान चारण	शोध सहायक	10/1/1972	साहित्य संस्थान, उदयपुर (69)	राजकीय महाविद्यालय, मण्डलिया
2	558	कृष्ण भाटी / श्री हरी सिंह भाटी	शोध सहायक	22-6-73	प्रताप शोध संस्थान उदयपुर (68)	राजकीय महाविद्यालय, कोटड़ा
3	581	शक्तीलूदीन सिद्धिकी / श्री नरसीलूदीन सिद्धिकी	शोध सहायक	10/10/1952	उदयपुर स्कूल आफै सोसल वर्क, उदयपुर (70)	राजकीय महाविद्यालय, भीम
4	567	जगदीश चन्द्र भीणा / श्री धनेश्वर भीणा	शोध सहायक	10/11/1972	साहित्य संस्थान, उदयपुर (69)	राजकीय महाविद्यालय, खेरवाड़ा

(सुबीर कुमार)

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

दिनांक:

17-9-12

क्रमांक एफ १ (50)पी.एस./निकाशि/2012/ ३ ५५
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को प्रेषित कर लेख हैं कि लेखाकार के प्रास्थगित (kept in abeyance) रखे गये पद पर राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने तक आपके विभाग के कर्मचारी का पदस्थापन न करें।
- शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी/ उपविधि परामर्शी निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक (स्थापना/अनुदान/ कार्मिक/ अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप-५, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
- संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
- संबंधित कर्मचारी।
- संस्थापन/ कम्प्यूटर/ गोपनीय/ कार्मिक शाखा/ नोडल आफिसर, विभागीय वेबसाइट।
- रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर